यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/88/2017 **दिनांक :** 02.10.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

बैंकों के नित्य जमा संग्रहकर्ताओं/लघु जमा संग्रहकर्ताओं की स्थिति

जैसा कि आपको विदित ही है कि एआईबीईए बहुत लम्बे समय से लघु जमा संग्रहकर्ताओं का मामला जोर–शोर से उठा रही है और उनके कार्य में काफी कुछ उपलब्धियाँ एआईबीईए के प्रयासों से ही हुई हैं। इसलिए हमारे महामंत्री साथी सी.एच. वेंकटचलम् ने 1 अक्टूबर, 2017 को आईबीए के अध्यक्ष श्री राजीव ऋषि को एक पत्र लिखा है जिसका अनूदित सार तथा उनके माँगपत्र का अनुवाद नीचे दिया जा रहा है। कृपया अपने–अपने क्षेत्रों में कार्यरत लघु जमा संग्रहकर्ताओं को इस विषय में अवगत करायें।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

श्री राजीव ऋषि,
अध्यक्ष
इण्डियन बैंक्स एसोसिएशन
मुम्बई।

प्रिय महोदय,

विषय : बैंकों के नित्य जमा संग्रहकर्ताओं/लघु जमा संग्रहकर्ताओं की दुर्दशा – उनके पारिश्रमिक/ कमीशन में सुधार तथा उनकी सेवाशर्तों में सुधार की आवश्यकता है

आपको अच्छी तरह से ज्ञात है कि जमाराशियाँ बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से, छोटी और कम मूल्य की जमाराशियाँ, कुछ बैंकों ने नित्य जमा संग्रहण योजनायें शुरू की हैं, नित्य निधि योजना, लघु जमा योजना, आदि तथा संग्रह अभिकर्ताओं/लघु जमा संग्रहकर्ताओं/नित्य जमा संग्रहकर्ताओं को नियुक्त किया गया है। हालांकि वे हमारे बैंकों के लिए काम कर रहे हैं, वे रोजगार के अलग नियमों एवं शर्तों तथा नियमित वेतन एवं भत्तों के बजाय पारिश्रमिक के रूप में कमीशन के भुगतान द्वारा नियंत्रित होते हैं।

न्यायाधिकरण तथा उच्च न्यायालय के समक्ष 1980 से 21 वर्षों की दीर्घकालीन मुकदमेबाजी के बाद, और अन्ततः सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, वर्ष 2001 में इन जमा संग्रहकर्ताओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम

जारी पृष्ठ 2

के दायरे के अन्तर्गत आने वाले **'कामगार'** के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इन्हें बैंकों के दूसरे प्रकार के कर्मचारियों के रूप में भी वर्गीकृत किया गया था। निर्णय जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी न्यूनतम मूल्यह्रास वेतन, कमीशन की दर, वाहन भत्ता आदि भी विस्तारित किया गया था।

चूंकि न्यायाधिकरण द्वारा निर्णित पारिश्रमिक/कमीशन के निर्णय को लागू करने के लिए स्वीकार होने में दो दशक लग गये, 20 वर्ष की इस अवधि के दौरान मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि के कारण, यह उस समय द्वारा अप्रभावी हो गया।

इसलिए, उनके पारिश्रमिक में जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा जीवनयापन लागत से जुड़ा हो, कुछ सुधार की मांग उठी।

इस बार भी, यह 12 वर्ष से अधिक की फिर मुकदमेबाजी थी और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, कुछ सुधार 2015–16 से लागू किए गये थे।

महोदय, आप भी यह स्वीकार करेंगे कि ये नित्य जमा संग्रहकर्ता द्वार तक पहुंचाई गई बैंकिंग व्यवस्था, लघु जमाओं के नये खातों को प्रचारित करने, कम मूल्य की जमाराशियों के संग्रह, आदि में जन सेवायें कर रहे हैं। ऐसे समय पर जबकि सम्पूर्ण बैंकिंग उद्योग कम मूल्य निधियों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है, इन योजनाओं को बेहतर प्रकार से अनुरूप बनाया जा सकता है और उपयोग किया जा सकता है तथा इन नित्य जमा संग्रहकर्ताओं की सेवाओं का और भी उपयोग किया जा सकता है।

इसी प्रकार, इन जमा संग्रहण अभिकर्ताओं का उपयोग छोटी मात्रा के एनपीए खातों की वसूली के लिए भी किया जा सकता है जिसने सभी बैंकों में एक बड़ा महत्व ग्रहण किया हुआ है।

इस पृष्ठभूमि में, हम लगता है कि उनके रोजगार के नियमों को इस प्रकार के अन्य कर्तव्यों को शामिल करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया जा सकता है और बेहतर जीवनयापन के लिए उनके पारिश्रमिक में सुधार के लिए उनकी यथोचित अपेक्षाओं पर भी विचार किया जा सकता है।

हम उनके द्वारा प्रस्तुत माँग पत्र को आपके विचारार्थ और अनुकूल निपटान के लिए इसके साथ भेज रहे हैं। निराशाजनक मुकदमेबाजी के पिछले कड़वे अनुभवों को देखते हुए, हम आपसे पारस्परिक विचार विमर्श के माध्यम से सौहार्दपूर्ण तरीके से मुद्दों को हल करने के लिए आगे आने का आग्रह करते हैं।

सधन्यवाद,

आपका विश्वासपात्र,

ह0..

सी.एच. वेंकटचलम्

महामंत्री

बैंक नित्य जमा संग्रहकर्ताओं का माँगपत्र

1. प्रोत्साहन कमीशन को वर्तमान 3% और 2% के मुकाबले समान रूप से 4% तक बढ़ाया जाना चाहिए।

2. सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की वृद्धि के अनुरूप में मूल्यह्रास वेतन को रू015000/– तक बढ़ाना चाहिए।

3. अतिरिक्त कर्तव्यों जैसे कि ऋण वसूली/एनपीए वसूली/बैंक के उत्पादों का विपणन को जमा संग्रहकर्ताओं को सौंपा जाये। ऐसे अतिरिक्त कर्तव्यों के लिए, अतिरिक्त प्रोत्साहन का भुगतान किया जा सकता है।

4. मूल्यह्रास वेतन और प्रोत्साहन कमीशन जिस पर महंगाई भत्ता जोड़ा जा सके (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुरूप) नियत समयान्तरल पर पुनरीक्षित किया जा सके।

5. जमा संग्रहकर्ताओं को मकान किराया भत्ता/नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए।

6. वाहन भत्ता रू0 2000/– प्रतिमाह तक बढ़ाया जाना चाहिए।

7. भविष्य निधि योजना शुरू की जानी चाहिए।

8. जमा संग्रहकर्ताओं को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए एक नई योजना/सूत्र पर कार्य किया जाना चाहिए।

9. पेंशन योजना शुरू की जानी चाहिए।

10. जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 (rr) के अनुसार जमा संग्रहकर्ताओं को देय कमीशन को ''वेतन'' के रूप में माना है, पात्र जमा संग्रहकर्ताओं को बोनस अधिनियम, 1965 के भुगतान के तहत बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए।

11. एक जमा संग्रहकर्ता के अस्पतालीकरण की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, ऐसे अस्पतालीकरण और स्वास्थ्य लाभ की अवधि की छूट प्राप्त होनी चाहिए तथा गैर संग्रहण के कारण सेवा समाप्ति के प्रावधानों को लागू करते समय अलग रखना चाहिए।

12. महिला जमा संग्रहकर्ताओं के लिए वेतन के साथ प्रसूति लाभ की शुरूआत की जानी चाहिए।

13. जमा संग्रहकर्ताओं के लिए अवकाश किराया छूट सुविधा को विस्तारित किया जाना चाहिए।

14. एक माह के कमीशन पर ब्याज मुक्त उत्सव अग्रिम तथा एक वर्ष के औसत कमीशन पर आधारित प्रोत्साहन को जमा संग्रहकर्ताओं के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए।

15. रियायती ब्याज दर पर वाहन ऋण जमा संग्रहकर्ताओं के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए।

16. रियायती ब्याज दर पर गृह ऋण जमा संग्रहकर्ताओं के लिए विस्तारित किया जाना चाहिए।

17. जमा संग्रहकर्ताओं के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज का विस्तार किया जाना चाहिए तथा प्रीमियम की लागत बैंकों को वहन करनी चाहिए।

18. बैंक के ''मार्गस्थ रोकड़'' के रूप में जमा संग्रहकर्ताओं द्वारा किये गये संग्रहण को देखते हुए, ''जोखिम बीमा'', की शुरूआत की जानी चाहिए।

19. सभी बैंकों में नित्य जमा संग्रह योजना शुरू की जानी चाहिए।

20. इस योजना के तहत प्रति खाता प्रतिदिन/माह संग्रह पर कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी।

21. बैंकों द्वारा अतिरिक्त/नये जमा संग्रहकर्ताओं की भर्ती की जानी चाहिए।

22. जमा संग्रहकर्ता के दोहन में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति योजना शुरू की जानी चाहिए।

23. दो तिमाहियों के लिए लक्ष्य तक न पहुंच पाने के मामले में, मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पहले उसके स्पष्टीकरण की मांग करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया जाना चाहिए।

24. दो तिमाहियों में कम संग्रह के कारण जमा संग्रहकर्ता की सेवा समाप्ति के मामले में, ''अपील' के लिए प्रावधान की शुरूआत की जानी चाहिए।

25. जमा संग्रहकर्ताओं को बैंकों द्वारा संग्रह मशीन की आपूर्ति की जानी चाहिए।